



2026:AHC-LKO:20743

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट ए संख्या 18090/2020

ए.एफ.आर.

राकेश कुमार वर्मा

याचिकाकर्ता

बनाम

उ.प्र० राज्य एवं अन्य

प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : मनीष चौधरी, चंद्र प्रकाश पाल, दीपिका श्रीवास्तव, ममता सिंह, प्रशांत जायसवाल, राजीव कुमार त्रिपाठी, शिवेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने एक उत्प्रेषण रिट जारी कर आक्षेपित आदेश दिनांक 06.07.2020 को रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को कनिष्ठ सहायक के पद पर इस आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है कि जिला कलेक्टर, लखीमपुर खीरी द्वारा पत्र दिनांक 15.03.2019 के माध्यम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली, जिला लखीमपुर खीरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 323, 504, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 10659/2010 लंबित है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक के 3,258 पदों तथा स्टोर कीपर के 18 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने कनिष्ठ सहायक पद के लिए आवेदन किया, सफल घोषित हुआ, और तत्पश्चात ऑनलाइन विभाग आवंटन प्रणाली के माध्यम से उसे गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. का विभाग आवंटित किया गया। आयोग द्वारा जारी संशोधित आवंटन पत्र रिकॉर्ड पर अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न है।
4. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पत्र दिनांक 12.02.2019 के माध्यम से याचिकाकर्ता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी के पास भेजा था, और रिपोर्ट दिनांक 18.02.2019 के अनुसार याचिकाकर्ता को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाया गया था।
5. यह प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन से पूर्व, याचिकाकर्ता के बड़े भाई चंद्र पाल और उनकी पत्नी कामिनी के बीच एक वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में एफआईआर जिसका मुकदमा अपराध संख्या 5467/2007 धारा 498-ए, 323, 504, 506 आईपीसी एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को सह-आरोपी बनाया गया था। यह तर्क दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 04/2016 के खंड 15(9) और 15(14) के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने उक्त आपराधिक मामले के लंबित होने का विधिवत खुलासा किया था।
6. आवंटन के बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर 20.05.2020 (अनुलग्नक संख्या 1) को निर्णय लिया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को केवल उपर्युक्त आपराधिक मामले के लंबित होने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता केवल एक सह-आरोपी है और उसके बड़े भाई मुख्य आरोपी हैं।
7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि आपराधिक मामला लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, तथा सत्यापन के दौरान सामने आए उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी उम्मीदवारी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को सही ढंग से खारिज किया गया।

8. रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

9. आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक संख्या 1) के अवलोकन से पता चलता है कि उपर्युक्त आपराधिक मामले के लंबित होने के अलावा, जिसका याचिकाकर्ता ने विज्ञापन संख्या 04/2016 की खंड 15(9) और 15(14) की शर्तों के अनुसार विधिवत खुलासा किया था, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं पाई गई है। याचिकाकर्ता को चिकित्सीय रूप से भी स्वस्थ पाया गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश केवल उक्त आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण ही पारित किया गया है।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अवतार सिंह बनाम भारत संघ, (2016) 8 एससीसी 471* में भर्ती के स्तर पर लंबित आपराधिक मामलों के मुद्दे पर विचार करते हुए पैराग्राफ 38 में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे, जो इस प्रकार हैं:-

"38. हमने विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया है और जहाँ तक संभव हो उन्हें स्पष्ट करने और उनका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हम अपने निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार देते हैं:

38.1. सेवा में प्रवेश करने से पहले या बाद में, दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी, अथवा आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी सत्य होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी को छिपाने या गलत बताने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए।

38.2. गलत जानकारी देने के कारण सेवाओं को समाप्त करने या उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय यदि कोई विशेष परिस्थिति हो, तो उस पर ध्यान दे सकता है।

38.3. निर्णय लेते समय नियोक्ता कर्मचारी पर लागू होने वाले सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता की जानकारी को छिपाया गया है या

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गलत जानकारी दी गई है, जहाँ आवेदन/सत्यापन फॉर्म भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी थी और ऐसी बात बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आती है, तो मामले के अनुसार निम्नलिखित में से कोई भी उपयुक्त मार्ग अपनाया जा सकता है:

38.4.1. मामूली प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कम उम्र में नारे लगाना या किसी छोटे-मोटे अपराध के लिए जिसका खुलासा करने पर भी संबंधित व्यक्ति प्रश्नगत पद के लिए अयोग्य नहीं ठहरता, नियोक्ता अपने विवेक से, इस भूल को क्षमा करते हुए तथ्य को छिपाने या गलत जानकारी देने की ऐसी बात को नजरअंदाज कर सकता है।

38.4.2. जहाँ ऐसे मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है जो मामूली प्रकृति का नहीं है, नियोक्ता उम्मीदवारी रद्द कर सकता है या कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर सकता है।

38.4.3. यदि नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े किसी मामले में तकनीकी आधार पर दोषमुक्ति दर्ज की गई थी और यह स्पष्ट दोषमुक्ति का मामला नहीं है, या संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त से संबंधित उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी को बनाए रखने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5. ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी ने समाप्त हो चुके आपराधिक मामले की सत्यतापूर्वक घोषणा की है, नियोक्ता के पास तब भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

38.6. यदि चरित्र सत्यापन फॉर्म में मामूली प्रकृति के किसी लंबित आपराधिक मामले के संबंध में सत्यतापूर्वक घोषणा की गई है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार को नियुक्त कर सकता है।

38.7. एक से अधिक लंबित मामलों के संबंध में तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के मामले में, ऐसी गलत जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और नियोक्ता उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाएं समाप्त करने का उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उसकी नियुक्ति उचित नहीं हो सकती है।

38.8. यदि कोई आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इसकी जानकारी नहीं थी, तब भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9. यदि कर्मचारी की सेवा की पुष्टि हो चुकी है, तो सत्यापन फॉर्म में जानकारी छिपाने या गलत जानकारी जमा करने के आधार पर सेवा समाप्ति/हटाने या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच आयोजित करना आवश्यक होगा।

38.10. जानकारी छिपाने या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए साक्ष्य/सत्यापन फॉर्म विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल वही जानकारी प्रकट की जानी अनिवार्य है जो विशिष्ट रूप से मांगी गई थी। यदि ऐसी जानकारी जो नहीं मांगी गई थी लेकिन प्रासंगिक है, नियोक्ता के संज्ञान में आती है, तो उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार करते हुए उस पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में उस तथ्य के संबंध में जानकारी छिपाने या गलत जानकारी जमा करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती जो मांगी ही नहीं गई थी।

38.11. किसी व्यक्ति को सत्य छिपाने या असत्य दर्शाने का दोषी ठहराने से पहले, तथ्य का ज्ञान उससे जोड़ा जा सकने योग्य होना चाहिए।"

11. पैराग्राफ 38.6 में, यह माना गया है कि जहाँ किसी उम्मीदवार ने मामूली प्रकृति के लंबित आपराधिक मामले का सत्यतापूर्वक खुलासा किया है, वहाँ नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपने विवेक से, ऐसे मामले के परिणाम के अधीन उम्मीदवार को नियुक्त कर सकता है।

12. वर्तमान मामले में, इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के प्रासंगिक खंड के अनुसार आपराधिक मामले के लंबित होने का सत्यतापूर्वक खुलासा किया है। यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान मामला एक एकल घटना से उत्पन्न हुआ है जिसमें मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के बड़े भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो मुख्य आरोपी हैं, और याचिकाकर्ता को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सह-आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से संकेत मिलता है कि परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ दहेज की मांग के संबंध में केवल सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए हैं, जिसमें याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भूमिका नहीं सौंपी गई है। कथित अपराध धारा 498-ए, 323, 504, 506 आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय हैं, जो संज्ञेय होने के बावजूद, वर्तमान मामले के तथ्यों में इतनी गंभीरता के प्रतीत नहीं होते हैं कि याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रोजगार के लिए अनुपयुक्त बना दें। रिकॉर्ड के आधार पर, आरोप प्रथम दृष्टया मामूली प्रकृति के प्रतीत होते हैं और एक घरेलू विवाद से उत्पन्न हुए हैं, जिनका संबंधित पद से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

13. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अवतार सिंह बनाम भारत संघ (उपरोक्त)* में, *कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम संदीप कुमार* का संदर्भ देते हुए, पैराग्राफ 8 और 9 में अवलोकन किया है कि युवावस्था की अज्ञानतापूर्ण चूकों और छोटे-मोटे अपराधों के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति पर जीवन भर के लिए अपराधी का ठप्पा नहीं लगाया जाना चाहिए, तथा दृष्टिकोण दंडात्मक होने के बजाय सुधारात्मक होना चाहिए। न्यायालय ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास *ले मिज़रेबल्स* के पात्र "जीन वालजीन" का उल्लेख करते हुए इस सिद्धांत का उदाहरण दिया, और इस बात पर जोर दिया कि छोटी-मोटी त्रुटियाँ, विशेष रूप से जो व्यक्तिगत या पारिवारिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, वे जीवन भर के प्रतिकूल परिणामों का कारण बनने के बजाय क्षमा किए जाने योग्य हैं।

14. उपर्युक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न सामान्य आरोपों के आधार पर आपराधिक मामले का लंबित होना, याचिकाकर्ता को नियुक्ति से इनकार करने का एक वैध आधार नहीं बनता है।

15. उपर्युक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के आलोक में, आक्षेपित आदेश दिनांक 06.07.2020 (अनुलग्नक संख्या 1) को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

16. प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करे। हालांकि, ऐसी नियुक्ति आपराधिक मुकदमे/अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अधीन होगी।

17. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

मार्च 23, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पंवार)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”